

फद अहकनम

मुम्बई

बनाम

सोपखण्ड

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2023

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15-1-25	<p>पत्रावली भेज हुई। वसुधारा पारिवे वरुण पूर्विका की प्रत्यक्ष में पत्रावली दिनांक 12/12/20 को भेज दी।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	12/3/25	<p>पत्रावली भेज हुई। P.O. सा. अ. का अत्यान्तरण हो गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	16-4-25	<p>पत्रावली भेज हुई। सचिवन्ता प्रार्थी उप० पूर्विका की पालना से पत्रावली दिनांक 11/6/25 को भेज दी।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
	11-6-25	<p>पत्रावली भेज हुई। प्रार्थी एवं उनके सचिवन्ता अनुमति। प्रार्थी को अज्ञाना न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगायी गयी। जयपुर भ्रमण प्रवासे के उपरोक्त प्रार्थी के न्यायालय में दायर नहीं जाने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सारंग-9 नियम-3 जा० शि० के तहत सक्षम हाजरी व सक्षम फेवरी से सारिप की जाती है। पत्रावली फैलप शुमार होकर नंबर से नम होकर सखिल यन्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	